

कृषि एवं मनरेगा संबंधी नीतित्तित दृष्टिकोणों में समन्वय हेतु उप-समूह का गठन

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Agriculture Sector and the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme - MGNREGS) पर समन्वय नीतित्तित दृष्टिकोण हेतु सात मुख्यमंत्रियों के उप-समूह का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके संयोजक हैं।

- आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सचिकमि के मुख्यमंत्रियों तथा नीतित्तित आयोग के सदस्य श्री रमेश चंद को इस उप-समूह का सदस्य बनाया गया है। इस उप-समूह को नीतित्तित आयोग द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
- वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने से संबंधित प्रधानमंत्री के वजिन को ध्यान में रखते हुए ही इस उप-समूह का गठन किया गया है।
- इसके अंतर्गत मनरेगा स्कीम का उपयोग करते हुए बुवाई-पूर्व एवं फसल कटाई-उपरांत उपायों पर विशेष बल देते हुए ऐसी टिकाऊ परसिंपत्तियों का सृजन करने का सुझाव दिया गया जिसकी सहायता से किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में व्याप्त मुश्किलों को कम किया जा सके।

इस उप-समूह के वचिरार्थ नमिनलखित वषियों को शामिल किया जाएगा:

- बुवाई-पूर्व और फसल कटाई-उपरांत दोनों ही स्थित्तिके लिये राज्य को वशिषिट उपायों के व्यापक वकिलप सुझाना, ताकि आमदनी, जल संरक्षण और कचरे से संपदा नरिमाण पर दिये जा रहे वशिष ज़ोर को और बढ़ाया जा सके।
- मनरेगा के तहत वभिन्न कार्यों को वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति से जुड़ी आवश्यकताओं से पूरी तरह सुव्यवस्थित करना।
- मनरेगा से जुड़े वशिषिट उपायों पर ऐसी सफिराशें पेश करना, जिससे किकृषि क्षेत्र में मुश्किलें कम हो सकें। इनमें कार्य की उपलब्धता, मज़दूरी की दरें, सीजन वशिष संबंधी कार्य, इत्यादि से संबंधित समस्याएँ शामिल हैं।
- वशिषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परवारों से जुड़े छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका में वविधिता के साथ-साथ विकास के लिये एक आजीविका स्रोत के रूप में मनरेगा के तहत संभावनाएँ तलाशना।
- आजीविका के लिये संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनश्चित्त करने हेतु मनरेगा और महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), उत्पादक समूहों एवं उत्पाद कंपनियों से जुड़े आजीविका संबंधी उपायों पर वशिष ज़ोर के बीच उचित्त समन्वय स्थापित करने के तरीके सुझाना।
- कोष का इष्टतम उपयोग, दक्षता, प्रभावकारिता एवं नरितरता सुनश्चित्त करने के लिये वभिन्न वभिणों के बीच संसाधनों के सफल सामंजस्य की संभावनाएँ तलाशने के लिये कार्यक्रम आयोजित करना।

उपर्युक्त उप-समूह अपने गठन की तथित्तित से तीन माह के भीतर रपिरट पेश कर देगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुवधि के अनुसार ही इस उप-समूह की पहली बैठक अगले माह होने की आशा है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियम

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियम (मनरेगा) एक ऐसा मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अकुशल व शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वत्तित्तित वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों के मज़दूरी (रोजगार) की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।
- इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
 - ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के अनुसार प्रत्येक परिवार को एक वत्तित्तित वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों की अकुशल मज़दूरी उपलब्ध कराना, जिससे नरिधारित गुणवत्ता और स्थायित्व वाली उपयोगी परसिंपत्तियों का नरिमाण हो।
 - गरीबों की आजीविका को बढ़ावा देना।
 - सकरयितापूर्वक सामाजिक समावेशन सुनश्चित्त करना।
 - पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढीकरण।

प्रमुख कार्य

- जल संरक्षण या जल संग्रहण की योजना से संबंधित सूखा बचाव कार्य जैसे- पेड़ लगाना या वनों का विकास करना।

- अनुसूचति जातयिों/जनजातयिों या भूमि सुधार से लाभ पाने वालों के लयिे सचिाई की वयवस्था करवाने से संबंघति ।
- झीलों व तालाबों की सफाई, मरम्मत और पुननरिमाण का कार्य । भूमि सुधार व गाँवों को सड़क से जोड़ने का कार्य ।
- बाढ़ नयितरण-सुरक्षा, जल-जमाव कषेत्रों में जल नकिासी से संबंघति ।

इसका उददेश्य देश के ग्रामीण कषेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है । साथ ही उन परवारों के वयस्क सदस्यों को वतित वर्ष में सौ दनि की (पारश्रिमकि), रोज़गार गारंटी प्रदान करना है, जो अकुशल मानव कार्य करने के इच्छुक हैं ।

आगे की राह

- आने वाले वर्षों में मनरेगा की प्रक्रिया को सरल और मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा । इस संबंघ में एक मास्टर सर्कुलर भी जारी किया गया है जिसमें इस कानून को लागू करने के संबंघ में केंद्र सरकार के सभी प्रमुख नरिदेशों का उल्लेख किया गया है । राज्यों को इसमें लचीलापन लाने के लयिे प्रोत्साहति किया गया है ।
- इस संबंघ में समवर्ती ऑडिट और नगिरानी करने संबंधी प्रावधान भी कयि गए हैं । इसके अतरिकित मंत्रालय द्वारा श्रमकिों को कुशल बनाने की दशा में भी काम किया जाएगा । उन्हें स्वरोज़गार और जीविका के लयिे पारश्रिमकि अर्जति करने के लयिे प्रशकिषति किया जाएगा ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/government-sets-up-cmssub-group-to-coordinate-policy-for-agriculture-mgnregs>

